संख्या– 181/प0अ0/2004–16 पर्य0/99

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 9 ~~फरवरी~~ मार्च, 2004

विषय–वित्तीय वर्ष 2003–04 में सहस्त्रधारा में बस स्टेशन/ पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्रांक–415/2–5–169/2003 दिनाँक 16 दिसम्बर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में सहस्त्रधारा में बस स्टेशन/ पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 41.00 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 22.00 लाखे (रुपये बाईस लाख मात्र) की धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इस कार्य के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जाता है एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा उक्त कार्य स्वीकृत धनराशि में ही पूर्ण कर लिया जायेगा एवं इसके उपरांत योजना में किसी प्रकार का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

3– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु जी0एम0वी0एन0 उत्तरदायित्व होगा।

9– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनॉक 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 31–3–2004 तक शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

13– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–17–उत्तरांचल में बस स्टेशन/ पार्किंग स्थलों का चालू निर्माण कार्य–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–3023 /वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 01 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–16 पर्य0/99, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
6– प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
9– वित्त अनुभाग–3।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।